न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 76 / 2018

बउनवान

दुर्गाशंकर पुत्र भैरूलाल आयु 60 साल जाति माली निवासी तिसाया तहसील बारां जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम तिसाया तहसील व जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां (रेस्पोंडेंटगण)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय केंप तिसाया दिनांक 29.05.2018

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

उपस्थिति :— 1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री जितेन्द्र नागर अभिभाषक (रेस्पो0 क्रम 1)

निर्णय दिनांक 14.10.2024

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट के खाते की आराजी वाके ग्राम तिसाया की आराजी खसरा नंबर 241 रकबा 0.20 है. व खसरा नंबर 249 रकबा 0.84 है. के सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 198 थे जो भू प्रबंध के पूर्व बड़ा रकबा था जिसके भू प्रबंध पश्चात कई नंबर बने। भू प्रबंध विभाग द्वारा पूर्व खसरा नंबर 198 के नम्बरों को अलग अलग कर दिया। अपीलांट के खसरा नंबर के मध्य होकर एक नया नम्बर 242 रकबा 2.97 है. निकाल दिया जो वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। अपीलांट द्वारा उक्त नक्शे की दुरूस्ती हेतु एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में पेश किया हुआ है जो वर्तमान में जैरकार है, इस बाबत पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 22.05.2018 में स्पष्ट अंकन किया गया है। रेस्पो0 क्रम 1 की झूंठी शिकायत पर तहसीलदार, बारां द्वारा राजस्व न्यायालय न्याय आपके द्वार केम्प में रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर ही ''तत्काल रास्ता दर्ज करे'' आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.05.2018 केम्प तिसाया निरस्त फरमाया जाकर जैरकार प्रकरण के निस्तारण तक कोई रास्ता उक्त खसरा नंबर पर कायम नहीं करने हेतु आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। रिकार्ड सर्च हेतु तलब किया जाकर पूर्ण प्रयास करने के उपरांत भी अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर उपलब्ध प्रकरण में मौजूद रिकार्ड के अनुसार ही अभिभाषक उभयपक्ष की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.24 12:50:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट तथा रेस्पोडेन्ट स्वंय भी निरन्तर अनुपस्थित रहने पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट द्वारा केम्प में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में प्रकरण जैरकार होने का अंकन करने के उपरांत भी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर "तत्काल रास्ता दर्ज करें" आदेश पारित कर दिया जो विधि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.05.2018 केम्प तिसाया निरस्त फरमाया जाकर जैरकार प्रकरण के निस्तारण तक कोई रास्ता उक्त खसरा नंबर पर कायम नहीं करने हेतु आदेश प्रदान करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी, पटवार मण्डल, तिसाया दिनांक 22.05.2018 में ग्राम तिसाया की आराजी खसरा नंबर 242 रकबा 1.17 है. सरकारी भूमि होना अंकित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर रखा है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध करने के कारण संवत् 2073 में धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर बेदखल किये जाने का भी अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास, सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.24 12:50:03 IST
Reason: SelfAttested